

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678] No. 678] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2008/पौष 9, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2008/PAUSA 9, 1930

नागर विमानन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 894(अ).—भारतीय हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा-1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इसके अध्याय III, अध्याय VI को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी होने की तारीख 1 जनवरी, 2009 निर्धारित करती है।

[फा. सं. एवी.-20036/61/2008-एएआई] आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2008

G.S.R. 894(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 2009, as the date on which the provisions of the said Act, except Chapter III and Chapter VI thereof, shall come into force.

[F. No. AV-20036/61/2008-AAI] R. K. SINGH, Jt. Secy.